सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 377/18 **निर्णय दिनांकः 21.08.2019**

1. जोराराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी गांव साजनवासी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—03—2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 23—03—2002 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र धोषित किया गया तथा दिनांक 22—03—2002 को सलाहकार समिति की राय से चक 3 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 153/63 के किला नम्बर 1 ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 31–05–2002 को उक्त भूमि का आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया। परन्तु भूमि का अपीलांट को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि थी। लिहाजा अपीलांट समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटन की मांग उक्त अपील के माध्यम से की गई है। अपीलांट को गजट की भूमि का आवंटन किया गया है इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–2002 के विरूद्व अपील दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

24–10–18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट की भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–03–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24–10–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से किये गये निर्णय की जानकारी का समुचित तन्त्र विकसित नहीं होने के कारण आवेदक/अपीलांट को निर्णय की जानकारी देरी से होने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए अपीलांट को सलाहकार समिति की राय से चक 3 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 153/63 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकाशित भूमि थी। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसीस्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश मनमानीपूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु सक्षम अधिकारी ने न तो उक्त आदेश को निरस्त किया, न पात्रता के आधार पर आवेदक को अन्यत्र भूमि आवंटित की। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रखने का औचित्य नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर